दां.प्रकी.(जमा.) 4431/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एच.एस.सान्धु,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में कमलेश शादीशुदा थी और बीस साल की थी। 3.6.2004 को जाना बताया गया है और दिनांक 30.7.2004 को बरामद की है और यह लगातार इतने अरसे तक बीकानेर, गंगानगर, दिल्ली अभियुक्त के साथ रही है। उसे होश में नहीं आने देने की बात और रूमाल डालने की बात सब अप्राकृतिक है। मेडीकल कराने से भी इसने इनकार कर दिया है। अत: धारा 376 भा.दं.सं. के आरोप के सम्बन्ध में जानबूझ कर इसने मेडीकल भी नहीं करवाया है। इस प्रकार उनका तर्क है कि प्रकरण सहमति का था जिसे बाद में बदल दिया गया है। अत: प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। चूंकि अभियोक्त्री स्वयं ने अपना मेडीकल कराने से इनकार कर दिया है अत: कोई भी साक्ष्य इस सम्बन्ध में नहीं ली जा सकती है। भगवईया बालिग होना बताया गया है। 5.6.2004 से 30.7.2004 तक

अभियुक्त के साथ रहना पाई गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए अभियुक्त को मैं जमानत पर रिहा करने के उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी लालचन्द पुत्र बीरबल राम योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा